कैम्प कोर्ट लोक अदालत जोधपुर।

पी.सी.ए.एम.(FT)
जोधपुर

21/6/17

पत्रावली आज पुनरावलोकन किया कोई ग्राम पंचायत लोरड़ी पाठलणी मेरा है।

पत्रावली का पुनरावलोकन पर अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पत्रावली दिनांक 28-9-2012 से लगभग लम्बित चल रही है। प्रार्थित समय दिये जाने के पश्चात भी प्रस्ताव पेश नहीं किया। अतः प्रकरण बंद किया जाता है।

प्रश्नगत अ0 2,3 व अन्य अन्य 33 भाग्यवत। वहीं दोनों पक्ष सुनी गयी। बहस में प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन से दोनों पक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः दोनों ही पक्षों को यह फैसला रूलबाह मौजा लोरड़ी पाठलणी तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 82/3, 248, 266/2, 268, 605/950, 870/2, 878, 892/2, 942 की क्रियाधिन भाग का तथास्थिति यथा बाह बेचान नहीं करने के संबंध रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली कुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दि. 21-6-2017 को पुनरावलोकन कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत लोरड़ी पाठलणी स्थल पर आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner